Event Report on "Good Samaritan Guidelines for Road Safety"

Road safety is a complex issue of concern, considering its magnitude and gravity and the negative impacts on the economy, public health and the general welfare of the people, particularly those with low income. Although various road safety improvement programs are being implemented, these have not had the required impact, and the number of road accidents and fatalities continue to rise. With motorization witnessing a 10% compound growth every year and expanding road network, travel risks and traffic exposure grow at a much faster rate. Today road traffic injuries are one of the leading causes of deaths, disabilities and hospitalizations, with severe socio-economic costs across the world.

A District level workshop on **Good Samaritan guidelines on road safety**, supported under **Ministry of Road Transport and Highways** , was held On 30 May 2019 at Unique Resort, Bhilwara. A total 66 person participated in the Workshop including guest. Mr Shambhu lal DTO Inspector was the chief guest of the program. And Mr. Ajay Agarwal Manager (DU) Rajasthan State Road Transport Corporation (RSRTC), Dr. CP Goswami RCHO, Health Department, Bhilwara were the special guest of the Good Samaritan workshop.

Mr. Deepak Saxena Assistant Director, CUTS and Mr Gauhar Mahmood, Center Coordinator, CUTS CHD were the guest of the Workshop.

Gourav Chaturvedi, Program Assistant, CUTS CHD Bhilwara, welcomed to guests and all participants and said that Road safety is a complex issue of concern, considering its magnitude and gravity and the negative impacts on the economy, public health and the general welfare of the people, particularly those with low income.

Gauhar Mahmood, Center Coordinator, CUTS CHD, overviewed of the workshop and gave detailed information on the rights of the Good Samaritan. Every Day approx. Four hundred seven deaths per year due to the Road accidents in World. Good Samaritan Law proves to be very beneficial on the worrisome topic such crisis.

Deepak Saxena, Assistant Director, CUTS CART, said that the decision has been given by the Supreme Court in the Paramanand Katara case and Save Life Foundation case which mentions about the injured persons in road accidents and role of Good Samaritans and their rights. He

added 150,000 people die each year on the roads in India, yet through a dangerous mix of weak law enforcement, a lack of emergency medical care and an unwillingness by the public to come to the aid of those injured, 80% of victims of road traffic crashes do not receive help within the critical first hour.

Dr. CP Goswami, RCHO Health Department, Bhilwara emphasised the usefulness and need for the basic life support and Good Samaritans. He stressed the need for providing road safety information to the people in the villages to district level with the help of Community, Community Based Organisation so that awareness is created and which will slowly lead to transformation in behaviour of public.

Shambhu Lal, Inspector, RTO Bhilwara, spoke that Law Commission of India states that 50% of those killed in such crashes could have been saved if timely medical care had been provided to them.

Ajay Agarwal, Officer, Roadways Bhilwara, said the most crucial role is played by the person at the scene of the crash—the bystander or passer-by. Not only can such people invoke the official systems of care by making that all-important phone call but they can also play a game-changing role in saving lives of victims by providing them first-aid.

At the end of the session, the participants raised many queries related to Good Samaritan law, the resource persons respond well

Media

सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा पर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित

न्यूज सर्विस/नवज्योति, भीलवाड़ा

कट्स द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से 30 मई को निजी होटल में दुर्घटना स्थल से मरीज को अस्पताल पहुचाने के लिये अच्छे मददगार की भूमिका (गुड सेमेरीटन) विषय पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कट्स के परियोजना समन्वयक गौरव चतुवेदी ने बताया की आम लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने एवं दुर्घटना के वक्त मरीज को तत्काल अस्पताल पहुंचाने के लिये अच्छे मददगार की भूमिका निभाने के प्रति लोगों को जागरूक एवं संवेदनशील बनाने के उदेश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में कट्स कार्ट जयपुर के सहायक निदेशक दीपक सक्सेना ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद लोग इस डर से नही करते है की पुलिस उन्हें परेशान करेगी एवं कोर्ट कचहरी में जाना पडेगा। इस डर को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में गुड समेरिटन एक्ट नाम से नये कानून का आधार रखा जिसमें अच्छे मददगार नागरिक के अधिकार के दायरे को परिभाषित किया गया। जिसमे पुलिस या कोर्ट अच्छे मददगार से कोई भी अनावश्यक पुछताछ एवं जानकारी देने के लिए पुलिस बाध्य नहीं कर सकेगी बल्की अच्छे मददगार को प्रशस्ति पत्र से भी सम्मानित करेगी। चिकित्सा विभाग से आरसीएचओ डॉ. सीपी गोस्वामी ने गुड सेमेरिटन विषय पर प्रस्तुतिकरण देते हुए कहा कि सडक दुर्घटना में मरने वाले संख्या काफी चिन्तनीय होती जा रही है। ऐसी परिस्थिति में हमें अच्छे मददगार नागरिको और यातायात नियमों की कडाई से पालना होने की जन जागरूकता लानी होगी। कट्स द्वारा आयोजित पेन्टींग प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आये हुए बच्चों जोकि एएसस्टीवर्ड, महेष पब्लिक स्कूल, न्यू लूक स्कूल को पुरस्कार केरूप में हेलमेट एवं अन्य को ट्रोफी वितरित की गई। कार्यशाला में राजस्थान परिवहन निगम से अजय अग्रवाल, आरटीओ विभाग इन्सपेक्टर शम्भू लाल, बाल कल्याण समिति से डॉ सुमन त्रिवेदी, तारा आहुलवालिया, आशा रामावत, मधु शर्मा, नेहरू युवा केन्द्र के राजपाल सिंह व नेहरू युवा मण्डल के सदस्यों, स्नेह समर्पन फाउन्डेशन की मोनिका गर्ग आदि मौजूद थे।

सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा पर कार्यशाला

भीलवाड़ा ■ संवाद सूत्र

कट्स द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से गुरूवार को दुर्घटना स्थल से मरीज को अस्पताल पहुचाने के लिए मददगार की भूमिका (गुड सेमेरीटन) विषय पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कट्स के परियोजना समन्वयक गौरव चतुर्वेदी ने बताया की आम लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने एवं दुर्घटना के वक्त मरीज को तत्काल अस्पताल पहुचाने के लिए अच्छे मददगार की भूमिका निभाने के प्रति लोगों को जागरूक एवं संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में कट्स कार्ट जयपुर के सहायक निदेशक दीपक सक्सेना ने अच्छे मददगार नागरिक के अधिकार पर जानकारी देते हुए बताया कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद लोग इस डर से नहीं करते है की पुलिस उन्हे परेशान करेगी एवं कोर्ट कचहरी में जाना पडेगा। इस डर को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में गुड समेरिटन एक्ट नाम से नये कानून का आधार रखा जिसमें अच्छे मददगार नागरिक के अधिकार के दायरे को परिभाषित किया गया। जिसमे पुलिस या कोर्ट अच्छे मददगार से कोई भी अनावश्यक पुछताछ एवं जानकारी देने के लिए पुलिस बाध्य नहीं कर सकेगी बल्की अच्छे मददगार को प्रशस्ति पत्र से भी सम्मानित करेगी।

दैनिक लोकजीवन भीलवाड़ा
31 मई 2019, शुक्रवार

मददगार की भूमिका विषय पर कार्यशाला आयोजित

लोकजीवन न्यूज सर्विस, भीलवाड़ा

कट्स द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से गुरूवार को दुर्घटना स्थल से मरीज को अस्पताल पहुचाने के लिए मददगार की भूमिका (गुड सेमेरीटन) विषय पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कट्स के परियोजना समन्वयक गौरव चतुर्वेदी ने बताया की आम लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने एवं दुर्घटना के वक्त मरीज को तत्काल अस्पताल पहुचाने के लिए अच्छे मददगार की भूमिका निभाने के प्रति लोगों को जागरूक एवं संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में कट्स कार्ट जयपुर के सहायक निदेशक दीपक सक्सेना ने अच्छे मददगार नागरिक के अधिकार पर जानकारी देते हुए बताया कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद लोग इस डर से नहीं करते है की पुलिस उन्हे परेशान करेगी एवं कोर्ट कचहरी में जाना पडेगा। इस डर को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में गुड समेरिटन एक्ट नाम से नये कानून का आधार रखा जिसमें अच्छे मददगार नागरिक के अधिकार के दायरे को परिभाषित किया गया। जिसमे पुलिस या कोर्ट अच्छे मददगार से कोई भी अनावश्यक पुछताछ एवं जानकारी देने के लिए पुलिस बाध्य नहीं कर सकेगी बल्की अच्छे मददगार को प्रशस्ति पत्र से भी सम्मानित करेगी। आरसीएचओ डॉ सी पी गोस्वामी ने गुड सेमेरिटन विषय पर प्रस्तुतिकरण देते हुए कहा कि सडक दुर्घटना में मरने वाले संख्या काफी चिन्तनीय होती जा रही है। ऐसी परिस्थिति में हमें अच्छे मददगार नागरिको और यातायात नियमों की कडाई से पालना होने की जनजागरूकता लानी होगी एवं ऐसी दुर्घटनाओं में घायलों को तुरन्त चिकित्सीय सहायता प्रदान करने वाले नागरिकों को सम्बधित हॉस्पीटल बिना ज्यादा पुछताछ करे एक अच्छे नागरिक गुड सेमेरिटन का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कट्स के केन्द्र समन्वयक गौहर महमूद ने कार्यशाला के उद्देश्य के बारे में बताया व कट्स द्वारा आयोजित पेन्टींग प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आये बच्चों पुरस्कार के रूप् में हेलमेट एवं अन्य को ट्रोफी वितरित की गई। कार्यशाला में राजस्थान परिवहन निगम से अजय अग्रवाल, आरटीओ विभाग के इन्सपेक्टर शम्भूलाल, बाल कल्याण समिति से डॉ सुमन त्रिवेदी, तारा आहुलवालिया, आशा रामावत, भाजपा महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मधु शर्मा, नेहरू युवा केन्द्र के राजपाल सिंह व नेहरू युवा मण्डल के सदस्यों, स्नेहसमर्पन फाउंडेशन की मोनिका गर्ग व अन्य स्वयं सेवी संस्थाके

पदाधिकारी,सामाजिककार्यकृता,सहित कॉलेज एवं स्कूल के विघार्थी ने भाग लिया।